संख्या- 185 /2021/ 2108 /चार-2021

प्रेषक,

विनय श्रीवास्तव,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग: **लखनऊ: दिनांक 23 नवम्बर, 2021**

विषयः- 'आजादी का अमृत महोत्सव' के अन्तर्गत दिनांक 29 से 31 अक्टूबर 2021 तक शाहजहॉपुर में 'आजादी की गौरवगाथा' कार्यक्रम में रंगोली कार्यक्रम हेतु रू0 39,240/- की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या 177/2021/1970/चार-2021 दिनांक 29 अक्टूबर, 2021 द्वारा 'आजादी का अमृत महोत्सव' के अन्तर्गत शाहजहॉपुर में 'आजादी की गौरवगाथा' कार्यक्रम के आयोजन हेतु रू0 13.30 लाख (रूपये तेरह लाख तीस हजार मात्र) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि 'आजादी का अमृत महोत्सव' के अन्तर्गत दिनांक 29 से 31 अक्टूबर 2021 तक शाहजहॉपुर में 'आजादी की गौरवगाथा' कार्यक्रम के अन्तर्गत रंगोली कार्यक्रम पर हुए व्यय रू0 39,240/- को सम्मिलित करते हुए रू0 13,69,240/- (रूपये तेरह लाख उन्हत्तर हजार दो सौ चालीस मात्र) की संशोधित कार्योत्तर प्रशासकीय एवं रू0 39,240/- (रूपये उनतालिस हजार दो सौ चालीस मात्र) की कार्योत्तर वित्तीय स्वीकृति, शासनादेश संख्या 177/2021/1970/चार-2021 दिनांक 29 अक्टूबर, 2021 में उल्लिखित शर्तो के अधीन प्रदान की जाती है। रंगोली कार्यक्रम पर हुए व्यय का भुगतान संस्कृति निदेशालय द्वारा किया जायेगा।

3- उक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2205-कला एवं संस्कृति-800-अन्य व्यय-19-चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव-42-अन्य व्यय मद से किया जायेगा।

भवदीय,
(विनय श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

संख्या 185 /2021/ 2108 (1)/चार-2021, तद्दिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
3- जिलाधिकारी, शाहजहांपुर।
4- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ/ शाहजहांपुर।
5- निदेशक, उ0प्र0 राजकीय अभिलेखागार, लखनऊ।
6- निदेशक, लोक एवं जनजाति कला एवं संस्कृति संस्थान, लखनऊ।
7- संयुक्त निदेशक, संस्कृति निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उपरोक्तानुसार भुगतान सुनिश्चित करते हुए शासन को शीघ्र अवगत कराने का कष्ट करें।
8- वित्त (लेखा) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(विनय श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in